

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026—चैत्र 10, शक 1948

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ. 19-34-2001-दो-सी-2.-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2026 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है अर्थात् :-

1. " दिनांक 25 जनवरी 2024" के स्थान पर "दिनांक 05 मई, 2025" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीषा सेंतिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. एफ. 19-34-2001-दो-सी-2.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीषा सेंतिया, अपर सचिव..

Bhopal, the 31st March 2026

AMENDED NOTIFICATION

No. F 19-34-2001-two-C-2.—The department notification of even number dated 18th March 2026 is hereby amended as follows, namely :-

1. In the said notification, for the words and figures "Dated 25 January 2024", the words and figures "Dated 05 May 2025" shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANISHA SENTIYA, Addl. Secy.